ISSN 2349-5596

# ग्रीन इनसाइट्स

न्यूज़लेटर ओन 'इनवार्नयमेंट लिट्रसी - इको-लेबलींग एंड इको-फ्रेंडली प्रोडक्टस'

अप्रैल- जून २०२४, वॉल्यूम १९ नंबर १

# ग्रीन उपभोक्ता परिदृश्य का मार्गदर्शन

स्पोन्सर्ड बाय:
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
एन्वायरन्मैंटल इन्फॉर्मेशन, अवेयरनैस, केपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम (EIACP) प्रोग्राम
सेंटर, इनवार्नयमेंट लिट्रसी- ईको-लेबलिंग और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पर रिसोर्स पार्टनर

# ग्रीन इनसाइट्स

अप्रैल- जून २०२४ वॉल्यूम १९ नंबर १


# अनुक्रमणिका


- प्रस्तावना २
- ग्रीन का रहस्योद्घाटन और सूचित विकल्प बनाना ३

- भारत में इको मार्क और ग्रीन प्रमाणनः टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा ५

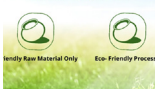

- इवेन्ट्स (अप्रैल- जून २०२४) ८

श्री प्रफुल अमीन
CERC, अध्यक्ष

उदय मावानी
चीफ एक्जिक्युटिव ऑफिसर

**संपादकीय टीम**

अनिंदिता मेहता
प्रोग्राम कॉऑर्डिनेटर

डॉ. कार्तिक अंधारिया
प्रोग्राम ऑफिसर

करण ठक्कर
इन्फॉर्मेशन ऑफिसर

मयुरी टांक
आइ. टी. ऑफिसर

आयुषी माणेक
इंटर्न, CERC-EIACP

IZGARA DESIGN

डिज़ाइन और ग्राफिक्स


## प्रस्तावना

आज की दुनिया में, उपभोक्ताओं के पास ढेरों विकल्प हैं, और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार निर्णय लेना उन्हें अभिभूत करा सकता है। यहीं पर 'ग्रीन कंज्यूमर लैंडस्केप को नेविगेट करना' (हरित उपभोक्ता परिदृश्य का मार्गदर्शन) की बात आती है - आपके लिए ऐसे सूचित विकल्प बनाने की मार्गदर्शिका जो आपको और पृथ्वी दोनों को लाभ पहुँचाएँ। टिकाऊपन एक वैश्विक चर्चा बन गया है, और उपभोक्ता विकल्प निस्संदेह बहुत ताकतवर हैं। हम जो उत्पाद खरीदते हैं, जिन ब्रांडों का हम समर्थन करते हैं, और जिस तरह से हम चीजों का निपटान करते हैं - ये सभी हमारे पर्यावरणीय फुटप्रिंट में योगदान करते हैं। लेकिन 'ग्रीन' लेबल और परस्पर विरोधी सूचनाओं के अंतहीन समुद्र के साथ, इस नए परिदृश्य को नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है।

इस न्यूज़लैटर का उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है। हम ग्रीन वाशिंग को समझेंगे और आपको एक ग्रीन उपभोक्ता के रूप में सशक्त बनाने के लिए स्पष्ट, कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। हम इको-लेबल को समझने से लेकर विभिन्न सामग्रियों और उत्पादन प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को समझने तक कई विषयों का पता लगाएंगे।

लेकिन 'ग्रीन कंज्यूमर लैंडस्केप को नेविगेट करना' सिर्फ़ उत्पाद विकल्पों से कहीं आगे जाता है। हम आपके समग्र उपभोग को कम करने, अपशिष्ट को कम करने और टिकाऊ जीवन पद्धतियों की खोज करने जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। याद रखें, हर छोटी-छोटी चीज़ मायने रखती है और आपकी दैनिक आदतों में छोटे-छोटे बदलाव भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

अंततः, यह न्यूज़लैटर जागरूक उपभोक्ताओं के समुदाय को बढ़ावा देने के बारे में है। हमारा मानना है कि सामूहिक कार्रवाई के साथ मिलकर सूचित विकल्प एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। तो, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें! आइए ग्रीन उपभोक्ता परिदृश्य को नेविगेट करने और एक अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए एक साथ काम करें, एक समय में एक सूचित खरीद के साथ।

# ग्रीन का रहस्योद्घाटन और सूचित विकल्प बनाना

## इको-लेबल को समझना

**ECO Mark Logo**

पर्यावरण की रक्षा में हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। इसमें व्यवसाय, सरकारें और आम नागरिक शामिल हैं। भारत टिकाऊपन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रगति कर रहा है। हम इसे कई तरीकों से देख सकते हैं, जैसे भारत में पर्यावरण के अनुकूल प्रमाणन प्राप्त करने वाली और नए इको-लेबल पेश करने वाली स्टील कंपनियों की बढ़ती संख्या। 2016 से ग्रीन बिल्डिंग की संख्या भी दोगुनी हो गई है और कुछ समुद्र तट (बीच) ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरण मानकों को पूरा कर रहे हैं।

पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का चयन करना महत्वपूर्ण है। जबकि कंपनियाँ और सरकारें इको-लेबल वाले उत्पाद बनाने जैसे कदम उठाती हैं, वहीं उपभोक्ताओं को भी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। जब आप फर्नीचर खरीदते हैं, तो फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल (FSC) लेबल वाली लकड़ी देखें। इससे पता चलता है कि लकड़ी जिम्मेदारी से प्रबंधित जंगल से आती है। इसी तरह, उच्च स्टार रेटिंग वाले ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें। विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए कई इको-लेबल हैं, इसलिए आप ऐसे विकल्प पा सकते हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों।

| | |
|---|---|
| ECO MARK SCHEME IN INDIA AND CERTIFICATION | भारत सरकार ने लोगों को ग्रीन उत्पादों के बारे में जागरूक करने के लिए 'इको-मार्क' की शुरुआत की थी। यह क्रेडल-टू-ग्रेव दृष्टिकोण का पालन करता है। इको-मार्क का उपयोग करने वाले उत्पाद साबुन, डिटर्जेंट, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधन, कागज, कपड़ा आदि हैं। |
| India Organic | इंडिया ऑर्गेनिक इको मार्क भारत में जैविक खेती वाले उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे सिंथेटिक रसायनों के बिना उत्पादित किए गए हैं और राष्ट्रीय जैविक मानकों को पूरा करते हैं। |
| FSC www.fsc.org FSC® C177426 The mark of responsible forestry | एफएससी बेहतर वन प्रबंधन को बढ़ावा देने और बाजार को बद लने में एक प्रमुख चालक है। इसका उद्देश्य वैश्विक वन उपयोग को अधिक टिकाऊ बनाना है, और संरक्षण, बहाली और सभी हितधारकों के सम्मान पर ध्यान केंद्रित करना है। |

| | |
|---|---|
| | वंचित किसानों और श्रमिकों को उपभोक्ताओं से जोड़ना, अधिक न्यायसंगत व्यापारिक परिस्थितियों को बढ़ावा देना, तथा किसानों और श्रमिकों को गरीबी से लड़ने, उनकी स्थिति को मजबूत करने और अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाना। |
| | वैश्विक जैविक का विकास, कार्यान्वयन, सत्यापन, संरक्षण और संवर्धन। |

### ग्रीनवाशिंग बनाम वास्तविक टिकाऊपन

किसी उत्पाद का नाम ग्रीन है या प्रकृति के बारे में बात करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पर्यावरण अनुकूल है। कंपनियाँ आपको यह सोचने के लिए गुमराह करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं कि उनका उत्पाद पर्यावरण के लिए अच्छा है। ग्रीनवाशिंग सिर्फ़ नाम के बारे में नहीं है - यह इस बारे में भी है कि वे उत्पाद का विज्ञापन कैसे करते हैं।

आइए यहां रुकें और कुछ ऐसी कंपनियों के उदाहरणों के बारे में सोचें जो ग्रीनवाशिंग रणनीति का इस्तेमाल कर रही हैं। उन कंपनियों के बारे में सोचें जो 'प्राकृतिक' या 'पर्यावरण अनुकूल' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाणन या पर्यावरण पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है।

यह देखने के लिए कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं और उसके पास प्रमाणन है या नहीं, इसकी पैकेजिंग के किसी भी तरफ़ संकेतित इको-लेबल देखें। आप उस विशिष्ट इको-लेबल की वेबसाइट पर जाकर उस उत्पाद के अन्य विवरण भी देख सकते हैं, जैसे कि किसी उत्पाद के लिए इको-लेबल की वैधता क्या है, उत्पाद को कब प्रमाणित किया गया था, आदि।

## जीवन चक्र मूल्यांकन (LCA) की अवधारणा को समझना

जीवन चक्र मूल्यांकन उत्पादों के पर्यावरण पर प्रभाव की पहचान करने में सहायक होता है, जो शुरुआत (कच्चा माल) से लेकर अंत (निपटान) तक होता है। LCA इको-लेबल से एक कदम आगे है, क्योंकि इको-लेबल पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। दूसरी ओर LCA हर चीज पर विचार करता है, जैसे किसी उत्पाद का निर्माण, उसका परिवहन, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं और यहां तक कि उसके निपटान के बाद के प्रभाव भी। किसी उत्पाद के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के इस दृष्टिकोण को क्रेडल-टू-ग्रेव दृष्टिकोण भी कहा जाता है।

## इकोलेबल के प्रकार

### टाइप I लेबल

एक स्वैच्छिक कार्यक्रम जो विचाराधीन उत्पाद के समग्र पर्यावरणीय निष्पादन के गहन विश्लेषण के बाद लाइसेंस प्रदान करता है।

यह प्रकार स्वैच्छिक, बहु-मापदंड आधारित, तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकित कार्यक्रम है, तथा एक लाइसेंस प्रदान करता है, जो जीवन चक्र विचारों के आधार पर किसी उत्पाद श्रेणी के अंतर्गत किसी उत्पाद/उत्पादों के लिए समग्र पर्यावरणीय वरीयता को इंगित करने वाले पर्यावरण लेबल के उपयोग को अधिकृत करता है।

टाइप I लेबल को उपभोक्ता शिक्षा के लिए स्वर्ण मानक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक स्वतंत्र प्रमाणन निकाय होता है। आम उदाहरणों में इको-मार्क, बीईई एनर्जी एफिशिएंसी लेबलिंग, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल आदि शामिल हैं।

### टाइप II लेबल

टाइप II पर्यावरण घोषणाओं में उत्पाद या सेवा पर या उत्पाद विज्ञापनों में किसी विशेष पर्यावरणीय पहलू पर जोर देने के लिए टैक्स्ट और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है।

इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच उत्पाद की पर्यावरणीय विशेषताओं को बढ़ावा देकर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना है।

हालाँकि, ये स्वयं घोषित पर्यावरणीय दावे हैं और इन्हें सत्यापित करना अक्सर कठिन होता है।

ऐसे लेबल का दायरा जीवन चक्र के केवल एक पहलू या उत्पाद की एक पर्यावरणीय विशेषता तक सीमित है, न कि उसके पूरे जीवन चक्र तक। और इसलिए ऐसे लेबल के साथ कोई प्रमाणन शामिल नहीं है।

### टाइप III लेबल

टाइप १ और २ के विपरीत, टाइप ३ इकोलेबल तथ्यात्मक डेटा प्रदान करने पर केंद्रित हैं। यह डेटा उत्पाद के जीवन चक्र मूल्यांकन से आता है। बहुत सारे तकनीकी डेटा के साथ, ऐसे लेबल आम तौर पर आम व्यक्ति द्वारा नहीं समझे जाते हैं। ऐसे लेबल अक्सर आंतरिक कंपनी मूल्यांकन के लिए व्यवसाय-से-व्यवसाय संचार में उपयोग किए जाते हैं।

संक्षेप में, टाइप ३ इकोलेबल किसी उत्पाद के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत, डेटा-संचालित चित्र उपलब्ध कराते हैं, लेकिन औसत उपभोक्ता के लिए इसकी व्याख्या करने में कुछ प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। पर्यावरण उत्पाद घोषणा (Environmental Product Declaration - EPD), हॉलबार्हेट्सडेक्लेरेशन (The Hållbarhetsdeklaration - स्वीडिश टिकाऊपन घोषणा), आदि टाइप ३ इकोलेबल हैं।

# भारत में इको मार्क और ग्रीन प्रमाणनः टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा

वैश्विक पर्यावरण संबंधी चिंताओं के मद्देनजर, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में दो प्रमुख पहल इको मार्क और ग्रीन प्रमाणन कार्यक्रम हैं। इन पहलों का उद्देश्य व्यवसायों और उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाने, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और एक स्वस्थ पृथ्वी में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए हम इन कार्यक्रमों में क्या शामिल है, उनकी आवश्यकताओं और इसमें शामिल प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानें।

### इको मार्क प्रमाणन

इको मार्क, जिसे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद लेबलिंग योजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक प्रमाणन योजना है। इको मार्क का प्राथमिक उद्देश्य उन उत्पादों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है जिनका अपने पूरे जीवन चक्र में पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।

**आवश्यकताएं:**

१. पर्यावरण मानदंडः इको मार्क प्रमाणन प्राप्त करने वाले उत्पादों को एक्स द्वारा निर्धारित विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करना होगा। ये मानदंड आम तौर पर ऊर्जा दक्षता, संसाधन संरक्षण, पुनर्चक्रण और कम उत्सर्जन जैसे मापदंडों को कवर करते हैं।

२. मानकों का अनुपालनः उत्पादों को BIS द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक भारतीय मानकों का अनुपालन करना होगा।

३. दस्तावेज़ीकरणः आवेदकों को अपने उत्पाद के पर्यावरणीय मानदंडों और मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करने वाले विस्तृत दस्तावेज़ और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

**प्रक्रिया:**

१. आवेदन प्रस्तुत करनाः इच्छुक व्यवसाय या निर्माता BIS के पास इको मार्क प्रमाणन के लिए आवेदन करते हैं।

२. मूल्यांकनः BIS पूर्वनिर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों और मानकों के आधार पर उत्पाद का मूल्यांकन करता है।

३. परीक्षण (यदि आवश्यक हो): कुछ मामलों में, निर्दिष्ट मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों का परीक्षण किया जा सकता है।

४. प्रमाणनः सफल मूल्यांकन के बाद, उत्पाद को इको मार्क प्रमाणन प्रदान किया जाता है, जिससे उत्पाद पैकेजिंग पर इको मार्क लोगो का उपयोग करने की अनुमति मिल जाती है।

### ग्रीन सर्टिफिकेशन

ग्रीन सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) में उत्पाद लेबलिंग से परे टिकाऊ पहलों का एक व्यापक दायरा शामिल है। यह इमारतों, उद्योगों और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होता है, और इसका उद्देश्य टिकाऊ पद्धतियों को लागू करने वाली संस्थाओं को मान्यता देना और पुरस्कृत करना है।

**आवश्यकताएं:**

१. टिकाऊ मानकों का पालनः ग्रीन प्रमाणन चाहने वाली संस्थाओं को अपने क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट टिकाऊ मानकों का पालन करना चाहिए। इन मानकों में ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग शामिल हो सकता है।

२. विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालनः टिकाऊ मानकों के अतिरिक्त, आवेदकों को प्रासंगिक पर्यावरण विनियमों और नीतियों का अनुपालन करना होगा।

३. टिकाऊ पद्धतियों का कार्यान्वयनः संस्थाओं को अपने परिचालनों में टिकाऊ पद्धतियों के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना आवश्यक है,

जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, अपशिष्ट में कमी के उपायों को लागू करना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना।

**प्रक्रियाः**

१. पूर्व-मूल्यांकनः आवेदकों को ग्रीन प्रमाणन के लिए अपनी तैयारी निर्धारित करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पूर्व-मूल्यांकन से गुजरना पड़ सकता है।

२. दस्तावेज़ीकरण और मूल्यांकनः संस्थाएं अपने टिकाऊ पद्धतियों को रेखांकित करते हुए विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं और अधिकृत प्रमाणन निकायों के मूल्यांकन से गुजरती हैं।

३. ऑन-साइट सत्यापन (यदि आवश्यक हो): कुछ मामलों में, प्रदान की गई जानकारी को मान्य करने और टिकाऊ पद्धतियों के वास्तविक कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए ऑन-साइट सत्यापन किया जा सकता है।

४. प्रमाणनः सफल मूल्यांकन के बाद, संस्थाओं को ग्रीन प्रमाणन प्रदान किया जाता है, जो टिकाऊ पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

## योजनाओं के उद्देश्य

१. निर्माताओं और आयातकों को प्रोत्साहित करनाः कंपनियों को ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों।

२. उपभोक्ताओं को शिक्षित करनाः लोगों को खरीदारी करते समय पर्यावरण अनुकूल विकल्प चुनने में मदद करने के लिए जानकारी प्रदान करना।

३. पर्यावरण अनुकूल खरीदारी को बढ़ावा देनाः लोगों को ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना जिनका पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़े।

४. पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधारः समग्र पर्यावरण को बढ़ावा देनाऔर संसाधनों के सतत उपयोग को समर्थन देना।

**मानदंडः**

क्रेडल-टू-ग्रेव दृष्टिकोणः कच्चा माल निकालने से लेकर विनिर्माण और निपटान तक उत्पादों का मूल्यांकन करना।
व्यापक एवं विशिष्ट मानदंडः सामान्य पर्यावरणीय पहलुओं को कवर करना लेकिन विशिष्ट उत्पाद प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना।

**मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव मानदंडः**

१. प्रदूषण में कमीः उत्पादों को उत्पादन, उपयोग और निपटान के दौरान समान उत्पादों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण पैदा करना चाहिए।

२. पुनर्चक्रण और जैवनिम्नीकरणीयताः उत्पादों को पुनर्चक्रित, पुनर्चक्रणीय, पुनर्चक्रित सामग्रियों से निर्मित होना चाहिए, या, जब समान उत्पाद न हों तो जैवनिम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) होना चाहिए।

३. संसाधन संरक्षणः उत्पादों को ऊर्जा और प्राकृतिक सामग्रियों सहित गैर-नवीकरणीय संसाधनों को तुलनीय उत्पादों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बचाने में मदद करनी चाहिए।

४. प्राथमिक पर्यावरणीय प्रभावः प्रत्येक उत्पाद को अपने उपयोग से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना चाहिए, जो प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के अनुरूप होना चाहिए।

## इकोलेबल के लाभ

» टिकाऊ उत्पाद विकास के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना।
» बदलते उपभोक्ता हितों को पूरा करने के लिए बढ़ते बाजार।
» शैक्षिक अवसर प्रदान करना।
» नये उत्पादन नेटवर्क के माध्यम से नई मूल्य शृंखलाओं का निर्माण करना।
» पर्यावरणीय दावों में सटीकता सुनिश्चित करना।
» पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रति उपभोक्ता व्यवहार को आकार देना।
» मानकों का पालन करके आर्थिक दक्षता बढ़ाना।
» टिकाऊपन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
» पर्यावरण सुधार के लिए लागत का पुनर्वितरण।

# BIS CERTIFICATION

**भारतीय मानक ब्यूरो [BIS]**

BIS उत्पादों के मानकीकरण और प्रमाणन में भूमिका निभाता है जिसमें इको लेबल भी शामिल है। इको लेबल के दुरुपयोग के लिए BIS अधिनियम के तहत दंड और सज़ा निम्नलिखित हैं:

**१. BIS प्रमाणन चिह्न का दुरुपयोग:**

यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के BIS प्रमाणन चिह्न (इको-लेबल सहित) का उपयोग करता है, तो उसे दंड दिया जाएगा।

**सजा:** एक वर्ष तक का कारावास या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

**२. गलत निरूपण:**

यदि कोई व्यक्ति झूठा दावा करता है कि कोई उत्पाद BIS द्वारा प्रमाणित है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

**सजा:** एक वर्ष तक का कारावास या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

**निरंतर अपराध:** प्रथम दोषसिद्धि के बाद अपराध जारी रहने पर प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरिक्त जुर्माना: प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक

**३. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २०१९:**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मुख्य रूप से भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार पद्धतियों से संबंधित है, जिसमें इको-लेबल का दुरुपयोग भी शामिल हो सकता है। दंड और सज़ा इस प्रकार हैं:

**भ्रामक विज्ञापन:**

यदि कोई विज्ञापन झूठा दावा करता है कि किसी उत्पाद पर इको-लेबल या अन्य प्रमाणन है, तो उसे भ्रामक माना जाता है।

**दंड:**

**प्रथम अपराध:** दस लाख रुपये तक का जुर्माना।
**अनुवर्ती अपराध:** पचास लाख रुपये तक का जुर्माना।
**कारावास:** दो वर्ष तक का कारावास संभव है।

**४. अनुचित व्यापार व्यवहार:**

किसी उत्पाद की पर्यावरण-अनुकूल विशेषताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करना अनुचित व्यापार व्यवहार है।

**दंड:**

**प्रथम अपराध:** दस लाख रुपये तक का जुर्माना।
**अनुवर्ती अपराध:** पचास लाख रुपये तक का जुर्माना।
**कारावास:** दो वर्ष तक का कारावास संभव है।

**५. उपभोक्ता मुआवज़ा:**

यदि उपभोक्ता इको-लेबल दावों से गुमराह हो जाते हैं तो वे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के साथ-साथ कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेन्टर (CERC) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

**मुआवजा:** आयोग झूठे निरूपण के कारण हुई किसी भी हानि के लिए मुआवजे का आदेश दे सकता है।

**निष्कर्ष**

इको मार्क और ग्रीन सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) कार्यक्रम भारत में टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवसायों और उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके, ये पहल पर्यावरण क्षरण को कम करने और ग्रीन भविष्य को बढ़ावा देने में योगदान देती हैं। हालाँकि, लंबे समय में इन प्रमाणन कार्यक्रमों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मानकों की निरंतर निगरानी और प्रवर्तन आवश्यक है।

स्रोत:


१. htt s://cpcb.nic.in/eco-scheme/
२. http:// ww.fao.org/3/y2789e/y2789e06.htm
३. Eco-labels: A Tool for Green Marketing or Ju t a Blind Mirror for Consumers: htt s://escholarship.org/uc/item/6k83s5mv
४. Increasing the e ecti eness of ecological food signal: Comparing sustainability tag with eco-labels: htt s://www.sciencedirect.com/science/article abs/pii/S0148296321007803
५. htt s://www.clasp.ngo/wp-content/uploads/2021/01/Ecolabel-final- eport.pdf
६. Eco mark Certi ation Rule, 2023: tt s://compass.rauias.com/current-a airs/ecomark-certi ation rule-2023/
७. Environmental Protection Act,1986 tt s://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf
८. BIS Eco-mark Scheme:htt s://www.bis.gov.in/product-certi ation eco-mark-scheme/

## इवेन्ट्स (अप्रैल- जून २०२४)

१. डॉ. कार्तिक अंधारिया, प्रोग्राम ऑफिसर, CERC EIACP PC RP ने विश्व पृथ्वी दिवस पर रेवातीर्थ अपार्टमेंट, भावनगर के सदस्यों के लिए 'पृथ्वी बनाम प्लास्टिक' विषय पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया।

२. डॉ. कार्तिक अंधारिया, प्रोग्राम ऑफिसर और श्री करण ठक्कर, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने २ मई २०२४ को CERC कक्षा में लॉ इंटर्न्स के साथ मिशन लाइफ, इको लेबल, मिलेट्स और टिकाऊ जीवनशैली पर जागरूकता सत्र आयोजित किया।

३. अनिंदिता मेहता, COO, CERC, बोर्ड ट्रस्टी, CI और कॉऑर्डिनेटर EIACP, MoEF&CC ने कनाडा के ओटावा में हाल ही में आईएनसी ४, प्लास्टिक संधि वार्ता के नतीजों पर AMA (एनजीओ पर्यावरण मित्र के सहयोग से) में आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया। डॉ. कार्तिक अंधारिया, प्रोग्राम ऑफिसर, EIACP, CERC ने भी सेमिनार में भाग लिया और चर्चाओं में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को मीडिया में व्यापक कवरेज मिली।

Giving details of his participation at INC-4, Chiragh Bhimani said, a major focus of the meet was micro plastics found in marine life across the globe. Offering examples of micro plastics found in the fishes consumed in the countries along the Pacific coasts, in an answer to a Counterview query, he regretted that there is no such study on Gujarat, which accounts for 20% of India's sea coast, and where fisheries is a major means of coastal livelihood for fisherfolk.

Expressing similar concern, Anindita Mehta, senior official at the Consumer Education and Research Centre (CERC), Ahmedabad, and trustee, Consumers International, said, the only study that she has come across on marine pollution in India because of micro plastics is by the SRM College, Chennai, carried out along the Tamil Nadu sea coast. "There should be a study on Gujarat coastal region too", she insisted.

४. अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर, CERC-EIACP ने २२ मई २०२४ को CERC कक्षा में दो विधि छात्रों, सुश्री प्रांजल और सुश्री आयुषी (वर्तमान में CERC इंटर्न) द्वारा एक विशेष प्रस्तुति की मेजबानी की। उनकी ज्ञानवर्धक वार्ता जैव विविधता के महत्वपूर्ण विषय और इसे संरक्षित करने वाले महत्वपूर्ण कानूनी ढांचेः जैव विविधता अधिनियम, २००२ पर केंद्रित थी। EIACP, CERC के प्रोग्राम ऑफिसर के मार्गदर्शन में सुश्री प्रांजल और सुश्री आयुषी ने कानून के नजरिए से जैव विविधता संरक्षण की जटिलताओं पर प्रकाश डाला। इस जानकारीपूर्ण सत्र ने उपस्थित सभी लोगों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

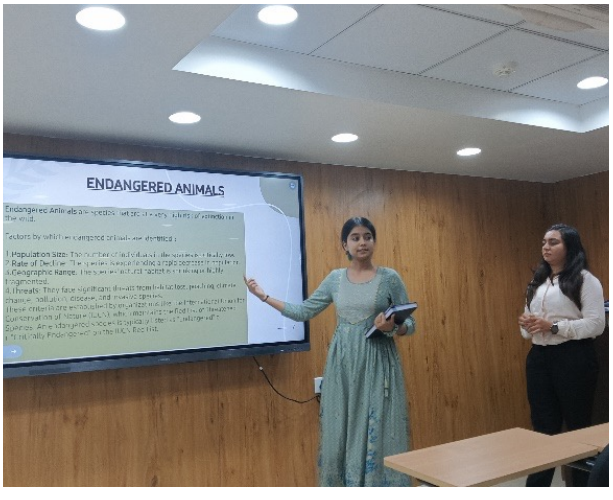

५. डॉ. कार्तिक अंधारिया, प्रोग्राम ऑफिसर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर खाद्य विज्ञान और पोषण विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए CERC कक्षा में जागरूकता सत्र आयोजित किया।

६. CERC कक्षा में ब्लू बेल स्कूल (कक्षा ८, ९ और १०) के छात्रों और कर्मचारियों तथा गुजरात विश्वविद्यालय और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के प्रशिक्षुओं की भागीदारी के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. कार्तिक अंधारिया ने टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर एक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें छात्रों को अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य पद्धतियों को अपनाने के बारे में शिक्षित किया गया।

७. CERC ने एक स्थानीय सांस्कृतिक समूह को सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता की, जिसमें पुराने दिनों के हरे-भरे वातावरण को प्रदर्शित किया गया तथा यह दर्शाया गया कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन अब वास्तविक हो गया है तथा पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर रहा है। अनिंदिता मेहता, COO CERC, बोर्ड ट्रस्टी CI, और प्रोग्राम कॉ ऑर्डिनेटर ने पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ७०० से अधिक लोगों को संबोधित किया।

CERC-EIACP के प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. कार्तिक अंधारिया ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें पोस्टर, पर्चे, पत्रक ि वतरित किए गए और BCC / IEC सामग्री प्रदर्शित की गई।

८. CERC-EIACP PC-RP ने स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए मिशन लाइफ के तहत अहमदाबाद के सी.के. पटेल स्कूल (कक्षा ९ से ११) के छात्रों के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस २०२४ मनाया।

CERC-EIACP की आईटी ऑफिसर (प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक) सुश्री मयूरी टांक ने योग सत्र लिया और CERC-EIACP के प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. कार्तिक अंधारिया ने स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों के लिए टिकाऊ जीवनशैली पर जागरूकता सत्र आयोजित किया।

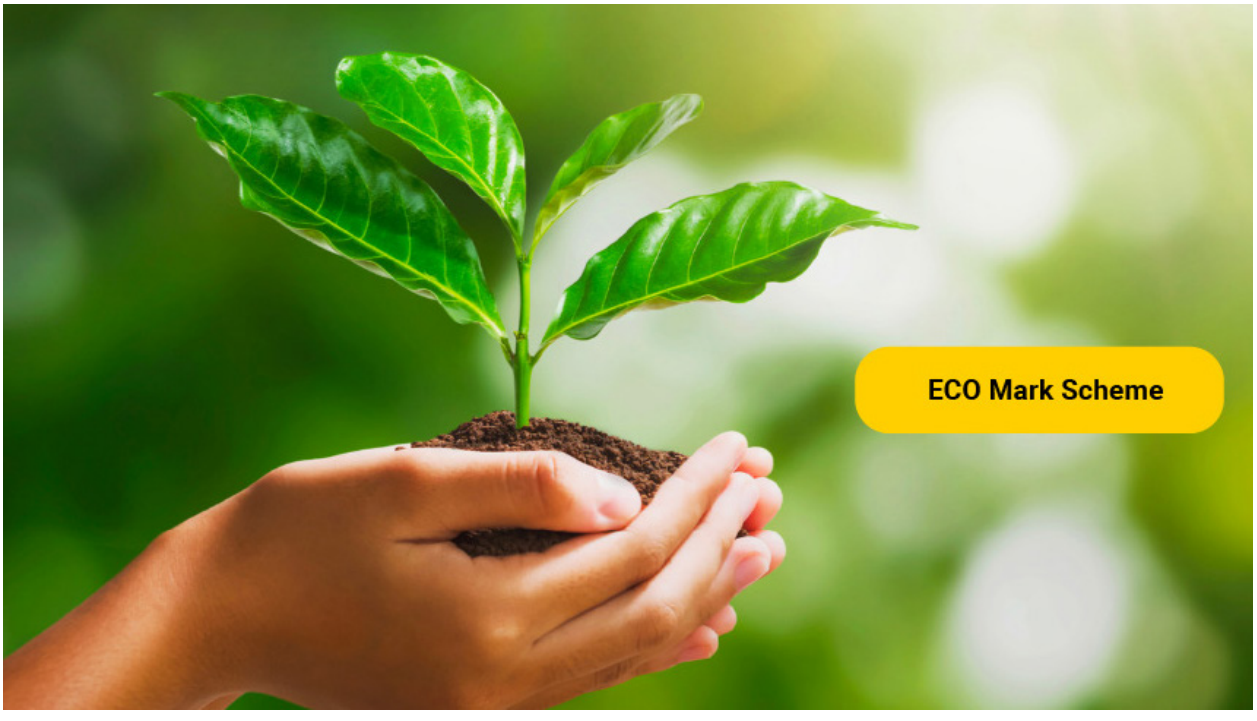


स्रोतः h ps://vakilsearch.com/blog/eco-mark-scheme-2/

एन्वायरन्मैंटल इन्फॉर्मेशन, अवेयरनैस, केपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम का संक्षित नाम EIACP है जो पर्यावरण सूचना संग्रह, मिलान, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और नीति निर्माताओं, निर्णयकर्ता ओं, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के प्रसार के लिए योजना केरूप में छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर (CERC), अहमदाबाद को 'पर्यावरण साक्षरता - पर्यावरण-लेबलिंग और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों' पर जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए एक संसाधन भागीदार के रूप में चुना है। इस EIACP रिसोर्स पार्टनर का मुख्य उद्देश्य इको उत्पादों, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय इको लेबलिंग कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है।


## पत्रिका का मुद्रण और प्रकाशन

कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, CERC-EIACP रिसोर्स पार्टनर,

८०१, ८वीं मंजिल साकार II बिल्डिंग, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पीछे, आश्रम रोड, अहमदाबाद - ३८० ००६, गुजरात, भारत।

फोनः ०७९-६८१८१६००/२८/२९

cerc@cercindia.org <cerc@cercindia.org>;

http:// ww.cercenvis.nic.in/

@CERC.EIACP
@cerc_eiacp
@cerc_eiacp
@CERC-EIACP
@cerc-eiacp


हमें लिखेंः हम आपके विचारों और सुझावों को महत्व देते हैं। कृपया इस अंक पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। हम इको उत्पाद और इको लेबलिंग पर आपके योगदान भी आमंत्रित करते हैं।


## डिसक्लेमर

इस न्यूज़लेटर में प्रयुक्त सामग्री अनिवार्य रूप से CERC या ENVIS के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। प्रकाशन में दिए गए चित्रों और विषयो का उद्देश्य केवल सेकंडरी स्रोतसे जानकारी प्रदान करना है।



## मुद्रण

प्रिंट एक्सप्रेस, अहमदाबाद।